फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत : **जिला कलक्टर** मुकाम : **बांसवाड़ा**

थानाधिकारी, पुलिस थाना आनन्दपुरी	**बनाम**	1. श्री दिनेश पिता भारता डामोर निवासी भुरा टिम्बा बडा पुलिस थाना सल्लोपाट चालक पीकअप रजि.नं GJ 16 Z 9668 2. राजकुमार पिता गौतम गरासिया निवासी भुरा टिम्बा पुलिस थाना सल्लोपाट 3. मांगीलाल पिता लाला गरासिया निवासी भुरा टिम्बा पुलिस थाना सल्लोपाट

धारा, 3,5,6,8,9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995

मु. नं. : 48/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09–11–2023	थानाधिकारी, पुलिस थाना आनन्दपुरी ने रिपोर्ट की है कि दिनांक 17.10.2023 को फतेहपुरा गुजरात जाने वाली सड़क पर नाकाबंदी के दौरान समय करीब 8.15 पीएम. पर मुखबीर की सूचना पर सफेद पीकअप को हाथ का इशारा देकर रोक कर पिकअप वाहन चालक का नाम पता पुछने पर पिकअप वाहन नंबर GJ16 Z 9668 के चालक ने अपना नाम दिनेश पिता भारता डामोर निवासी भुरा टिम्बा थाना सल्लोपाट का होना बताया। पिकअप में दो अन्य व्यक्ति बैठे थे जिनका नाम पुछने पर अपना नाम राजकुमार पिता गौतम गरासिया व मांगीलाल पिता लाला गरासिया निवासी भुरा टिम्बा पुलिस थाना सल्लोपाट होना बताया। राजकुमार ने उक्त पिकअप अपनी होना बताया। पिकअप की तलाशी लेने पर डाले में एक गाय सफेद रंग और एक बैल काले रंग का दोनो घायल अवस्था में पाये गये। उक्त के संबंध में अप्राथीगणों से पुछने पर गाय और बैंल गुजरात राज्य में कटनी के लिए ले जाया जाना बताया। गौवंश परिवहन के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर कोई भी दस्तावेज होना नही बताया। इस प्रकार अभियुक्तगणों द्वारा बिना किसी वैध अनुज्ञा के एक गाय व एक बैल परिवहन कर गुजरात राज्य में कटनी के लिये ले जाना राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 का अपराध बनना पाया जाने उक्त गाय और बैल फर्द कागजात तैयार किये। बाद कार्यवाही गाय, बैल एवं जप्तशुदा महेन्द्रा बोलेरो मेक्सी ट्रक प्लस तथा गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण को थाने लाया गया। वगैरा रिपोर्ट पर थानाधिकारी आनन्दपुरी ने प्रकरण संख्या 295/2023 धारा 3,5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय (पशु वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम 1995) में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। थानाधिकारी ने प्रकरण में जप्त 2 गौवंश (बैल, गाय) को प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक द्वारकापुरी गौशाला सेवा संस्थान रजिस्ट्रेशन नबर 59/2014 पता आनन्दपुरी को सुपुर्द करने निवेदन किया है। अतः राजस्थान, गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम, 1995 की धारा 7 के तहत् जप्तशुदा 2 गौवंश (बैल, गाय) को सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय होने तक प्रबन्धक, द्वारकापुरी गौशाला सेवा संस्थान रजिस्ट्रेशन नबर 59/2014 पता आनन्दपुरी को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते हैं। जब्तशुदा 2 गौवंश (बैल, गाय) की चराई, सुरक्षा एवं देखभाल की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक, द्वारकापुरी गौशाला सेवा संस्थान रजिस्ट्रेशन नबर 59/2014 पता आनन्दपुरी की होगी। जब्तशुदा गौवंश की वीडियोग्राफी भी सुपुर्दगी के समय करवायी जावे। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उक्त पशुओं को तलब करने पर न्यायालय में पेश करने के लिए प्रबन्धक, द्वारकापुरी गौशाला सेवा संस्थान रजिस्ट्रेशन नबर 59/2014 पता आनन्दपुरी बाध्य होगा। आदेश जारी पृथक से जारी हो। प्रार्थी वाहन स्वामी श्री राजकुमार पिता गौतम गरासिया निवासी भुरा टिम्बा पुलिस थाना सल्लोपाट ने दिनांक 31.10.2023 को एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री आकाश पटेल के माध्यम से अन्तर्गत धारा 6ए(3) राजस्थान, गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा संशोधन अधिनियम दिनांक 05.12.2019 पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र एफआईआर सं. 295/2023 पुलिस थाना आनन्दपुरी बांसवाडा द्वारा अन्तर्गत धारा 3,5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय (पशु वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 13:27:35 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम 1995 में जब्तशुदा महेन्द्रा बोलेरो मेक्सी ट्रक प्लस जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर GJ16 Z 9668 है को सुपुर्दगी प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया है। उपस्थित पक्षकारान अभियोजन अधिकारी एवं वाहन स्वामी के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से जाहिर होता है कि जब्तशुदा महेन्द्रा बोलेरो मेक्सी ट्रक प्लस जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर GJ16 Z 9668 है का पंजीबद्ध स्वामी होना प्रकट होता है। अन्य कोई दावेदार उपस्थित नहीं है। जब्तशुदा महेन्द्रा बोलेरो मेक्सी ट्रक प्लस जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर GJ16 Z 9668 वर्तमान में थाना आनन्दपुरी परिसर में खडा है। जिसके लंबे समय तक वहां पडे रहने से उसकी उपयोगिता में कमी आने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि यदि उक्त प्रार्थी वाहनस्वामी न्यायालय में 6,00,000/– का सुपुर्दगीनामा व इतनी ही राशि का जमानतनामा इस शर्त के साथ पेश कर सत्यापित कर दे कि प्रकरण के निस्तारण तक उक्त सामान को न तो बेचेगा न ही अन्यथा अंतरित करेगा। वाहन के रंग व स्वरूप में परिवर्तन नहीं करेगा एवं खुर्द–बुर्द नहीं करेगा। अदालत के आदेश पर अदालत में स्वयं के खर्चे पर अविलम्ब पेश करेगा तो उसे जब्तशुदा उक्त वाहन है सुपुर्दगी पर दिये जाये। जब्तशुदा उक्त वाहन सुपुर्दगी पर उक्त सुपुर्दगीदार को दिये जाने से पूर्व उक्त वाहन के रंगीन फॉटो चारो ओर से खींच कर पेश करें।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा

9/11/23 प्रार्थी सुपुर्दगीदार का सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश सुनाया गया। आदेश अनुसार सुपुर्दगीनामा जमानतनामा पेश हुए, जो बाद जाँच तस्दीक किये गये। जब्तशुदा वाहन महेन्द्रा बोलेरो मेक्सी ट्रक प्लस जिसका रजि.नं. GJ16 Z 9668 सुपुर्दगी पर उक्त सुपुर्दगीदार को दिये जाने बाबत तहरीर जारी हो। जिसमे अंकित हो कि उक्त वाहन का रंगीन फोटो चारो ओर से खींचकर पेश करे प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली पेश बाद इन्द्राज होकर दा.द. हो।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 13:27:35 IST
Reason: SelfAttested